विलोपित विलोपित विलोपित
INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 5 रु.

121

Admit Non App. Record.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २००६- निगरानी -1408-III/09

मृत काजी मोवस्सिर हुसैन पुत्र काजी रहबर हुसैन,
निवासी वार्ड नम्बर-१ शहडोल, तेहसील सोहागपुर
जिला शहडोल (मध्यप्रदेश)

------ प्रार्थी

एस० के० अवस्थी एडवोकेट
द्वारा आज दि० 13-10-09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बिरुध्द

१- मोहद्दीन	सभी के पिता स्व० मइनुद्दीन
२- सिराजुद्दीन	सभी निवासीगण वार्ड नं० ३,
३- वहनीबाई	शहडोल, तेहसील सोहागपुर
४- मुन्नी बाई	(जिला शहडोल (म०प्र०) ।

अग्रिम 23/10/09

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश आयुक्त महोदय शहडोल संभाग दिनांक १५-६-०६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ प्र०क्र० ६५ ।०७-०८ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, आयुक्त महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।

२- यह कि, आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, आयुक्त महोदय नें विलम्ब क्षमा के संबंध में अत्याधिक कठोर रुख अपनाया है । आदेश पारित करते समय बरिष्ठ न्यायालयों के अभिनिर्धारणों पर भी कोई विचार नहीं किया है जिसमें विलम्ब के सम्बन्ध में लचीला रुख अपनाये जाने की अनुशंसा की है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1408/तीन/09 जिला– शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–3–18	आवेदक अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी एवं अनावेदक 1 एवं 2 अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक 3 पूर्व से एकपक्षीय है। प्रकरण में आवेदक की मृत्यु हो जाने तथा आवेदक के वारिसानों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आवेदक के विधिक वारिसानों की जानकारी समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त (अवैट) किया जाता है। सदस्य	